Centre for CIVIL SOCIETY

SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY

कोविड -19 और महिला स्ट्रीट वेंडर्स

अधिकार, प्रतिबंध और कानून का शासन

कॉपीराइट ©2021
प्रथम प्रकाशन वर्ष 2021
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी

लेखक
शरण भवनानी, प्रशांत नारंग, और जयना बेदी
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी

कृपया लेखकों के नाम का इस तरह से उल्लेख करें: भवनानी, शरण, प्रशांत नारंग, और जयना बेदी .
2021. कोविड -19 और महिला स्ट्रीट वेंडर्स: अधिकार, प्रतिबंध और कानून का शासन.
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी.

डिजाइन
रवि कुमार यादव,
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी

ज़्यादा जानकारी और दसरे अनुरोधों के लिए, इस पते पर लिखे:
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी,
ए-69, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016
फोन: +91 11 26537456
ईमेल: ccs@ccs.in वेबसाइट: www.ccs.in

कोविड -19 और महिला स्ट्रीट वेंडर्स

अधिकार, प्रतिबंध और कानून का शासन

Commonwealth Foundation

विषयसूची

प्रस्तावना 7

कोविड -19 प्रतिबंधः सिविल और आर्थिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का डॉक्युमेंटेशन 8

» कोविड -19 प्रतिबंध आमदनी में भारी गिरावट के कारण बनें 9

» सरकारी अधिकारियों के द्वारा आदेशों का मनमाने ढंग से अनुपालन 10

» पुलिस अधिकारियों के द्वारा शोषण 11

महामारी के संबंध में सरकारी प्रतिक्रिया में क्या गड़बड़ी रही? 12

» विवेक पर आधारित दिशा-निर्देश 12

» प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय 12

» आनुपातिकता और मिलीभगत का सिद्धांत 12

» अधीनस्थ कानून निर्माण पर नियंत्रण 13

अन्य देशों से हम क्या सीख सकते हैं? 16

» कानूनों की निश्चितता और स्पष्टताः न्यूजीलैंड का पब्लिक हेल्थ रिस्पांस एक्ट 16

» ह्यूमन राइट्स के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान करनाः सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों वाले प्रावधानों के सीमितता और अनादर के संदर्भ में सिराकुसा का सिद्धांत 16

» डेलिगेटेड लेजिसलेशन की निगरानी के लिये स्टैण्डिंग कमिटी: ऑस्ट्रेलिया का केस 17

इन सीखों को हम अपने देश में कैसे लागू कर सकते हैं? 18

» सुझाव 1: EDA और DMA के द्वारा कार्यकारी आदेशों के संदर्भ में प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करना चाहिये 18

» सुझाव 2: EDA और DMA को चाहिये कि वह आपातकालीन परिस्थितियों में जारी होने वाले कार्यकारी आदेशों का टेम्परेरी होना सुनिश्चित करे और उनका संसदीय रिव्यू से गुजरना आवश्यक बनाए 18

» सुझाव 3:संसदीय अथवा स्टैंडिंग कमिटीज़ की रिव्यू कुछ निश्चित सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होनी चाहिये 19

» सुझाव 4: एग्जिक्युटिव के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के लिये EDA और DMA को एक तंत्र का निर्माण करना चाहिये 21

संदर्भ 23

अधिकार, प्रतिबंध और कानून का शासन

शरण भवनानी, प्रशांत नारंग और जयना बेदी

प्रस्तावना

स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या भारत की कुल शहरी आबादी की 2% है (भौमिक 2005)। इसके साथ ही, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा कर स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी इस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नियमित करने में मदद करने के लिए वर्ष 2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून मौजूद नहीं था। जिसके कारण अक्सर स्थानीय प्राधिकरणों या पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनके खिलाफ वसूली करने वाली कार्रवाई करने को बढ़ावा मिलता था (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 2011)। 2014 में पारित स्ट्रीट वेंडर अधिनियम (स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट) ने भारत में सम्मानजनक आजीविका के अधिकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इस एक्ट ने अधिकार आधारित अप्रोच के माध्यम से स्ट्रीट वेंडिंग के कार्य को औपचारिक रूप देने की बात की। लेकिन 2019 तक, राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू न करके इसे दांत रहित बना दिया (सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी 2019)।

अधिकांश स्ट्रीट वेंडर्स को अब भी पूर्व की भांति ही मुश्किलात और स्थानीय अधिकारियों के हाथों शोषण का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से भी सबसे अधिक मार लगभग दस लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स पर पड़ी है। इन महिलाओं को न केवल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है बल्कि लिंग आधारित हिंसा' व अन्य दमनकारी सामाजिक मानदंडों को भी झेलना पड़ता है (चक्रवर्ती और आहूजा 2021)। कोविड -19 के प्रसार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) द्वारा "अर्जेंट और एग्रेसिव कदम उठाने सम्बंधी" वैश्विक आह्वान (WHO 2020) पर प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए, भारत ने अधिकारों के दायरे में व्यापक कमी लाने की तैयारी कर ली। हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि "देशों को स्वास्थ्य की रक्षा करने, आर्थिक और सामाजिक व्यवधानों को कम करने और ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाना चाहिए" (WHO 2020) बैलेंस को बनाये रखने के लिए, हमें एग्जिक्युटिव की शक्तियों को बारीकी से निर्देशित और सीमित करना चाहिए। पार्लियामेंट द्वारा अधिकार प्राप्त, एग्जिक्युटिव ने बाजारों को बंद करने, कर्फ्यू लगाने और आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोविड -19 से संबंधित ये प्रतिबंध वेंडर्स को अतिरिक्त प्रतिकूलताओं के साथ घेर लेते हैं। पहले से ही संकटपूर्ण जीवन जी रही वीमेन वेंडर्स गरीबी और गंभीर आर्थिक व सामाजिक कठिनाइयों के और करीब पहुंच गई हैं (मैथिया 2020)।

यह पॉलिसी ब्रीफ में महिला स्ट्रीट वेंडर्स पर कोविड -19 वाले प्रतिबंधों के असरों का मूल्यांकन करती है। खास तौर से, यह रेखांकित करता है: i) महामारी के बीच स्ट्रीट वेंडिंग के कार्य को रेग्युलेटकरने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया नजरिया; (ii) ज्यादतियों के क्षेत्र और वेंडर्स पर इसका असर; और iii) बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं जो संकट के दौरान सरकार के नजरिया का मार्गदर्शन कर सकती हैं।

कोविड -19 रिस्ट्रिक्शंस
सिविल और आर्थिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों का डॉक्युमेंटेशन

महामारी को लेकर केंद्र सरकार की सबसे पहली प्रतिक्रियाओं में से एक कोविड -19 को डिजास्टर मैनेंजमेंट एक्ट, 2005 (DMA) के तहत डिजास्टर के रूप में नोटिफाई करना था। यह घोषणा मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स (MHA) को राज्य सरकारों को निर्देश देने और स्वास्थ्य संकट से निबटने के लिए स्वतंत्रता में कटौती करने का अधिकार देती है। इन प्रतिबंधों ने स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका को बुरी तरह असरित किया (भवनानी, नारंग, और बेदी)।

भारत में गरीबों और कमजोरों पर कोविड -19 प्रतिबंधों के संभावित असरों को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने 28 मार्च 2020 को राज्यों के लिए निर्देश जारी किया कि:

> “पब्लिक के साथ डीलिंग करने के दौरान ह्युमनटेरियन अप्रोच अपनाएं, खास तौर से उन लोगों के साथ जो लॉकडाउन के कारण बेघर हो गये हैं। निर्धारित प्रतिबंधों को लागू करना करुणा और हमारे नागरिकों की देखभाल के कर्तव्य की भावना से युक्त होना चाहिए।”

इस निर्देश के बाद भी पुलिस की बेरहमी अपने चरम पर थी (पुरकायस्थ 2020)। हमारे हालिया अध्ययन ने कोविड -19 प्रतिबंधों के कारण महिला स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा झेली जा रही चुनौतियों को डॉक्युमेंट किया है। यह डाक्युमेंटेशन दिल्ली और राजस्थान की 40 महिला स्ट्रीट वेंडर्स के साथ किये गए इंटरव्यू पर आधारित है (भवनानी, नारंग और बेदी)।

कोविड -19 प्रतिबंधों के कारण इनकम में तेज गिरावट आई

इंटरव्यू में शामिल कुल महिला स्ट्रीट वेंडर्स में से 45% महिला स्ट्रीट वेंडर्स महामारी के पूर्व प्रतिदिन 500 रूपये तक कमाती थीं जबकि इंटरव्यू में शामिल 55% महिला स्ट्रीट वेंडर्स की दैनिक आमदनी 500 से 1000 रूपये तक थी। महामारी के दौरान (जिसमें लॉकडाउन की अवधि भी शामिल है) 82% महिलाओं की आमदनी कुछ भी नहीं थी जबकि 15 % महिलाएं 50 रूपये से लेकर 300 रूपये प्रतिदिन कमा रहीं थी। यहां तक कि जुलाई 2020 में (जब आर्थिक गतिविधियों के फिर से संचालन की अनुमति दे दी गई थी) कामकाज शुरू होने के बावजूद 25% महिलायें आमदनी में कमी का सामना कर रहीं थी। इंटरव्यू में शामिल 37.5% महिलायें अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। लगभग 87.5% महिलायें यह महसूस करती थीं कि महिला और पुरूष दोनों स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष

Earning of women street vendors

Before lockdown

(March 2020)

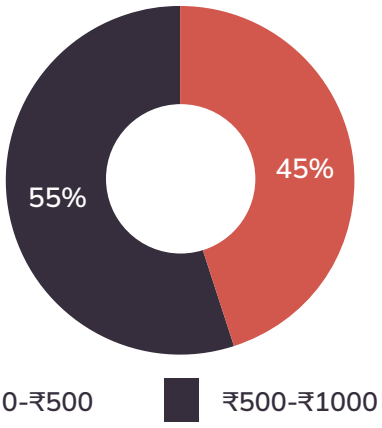

During lockdown

(March-July 2020)

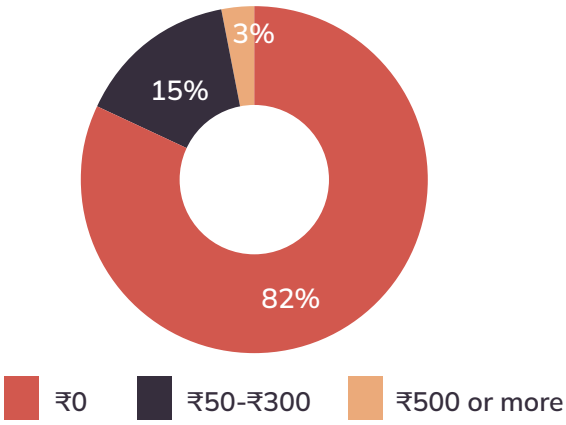

After lockdown was lifted*

(Post July 2020)

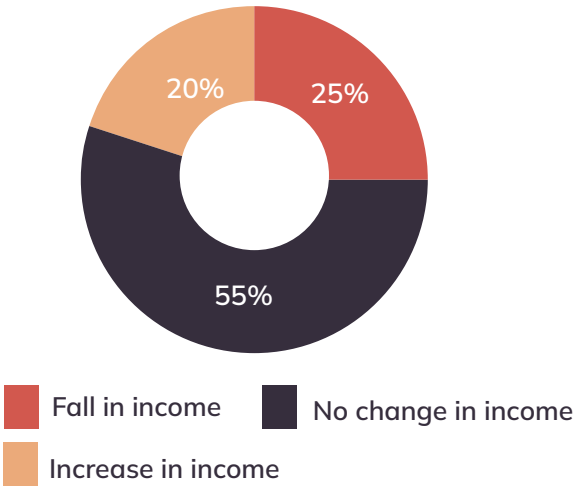

From pre-pandemic income levels

उत्पन्न हुई समस्या का कारण एक ही था – अत्यधिक वित्तीय संकट।

सरकारी अधिकारियों के द्वारा आदेशों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल

जिन महिलाओं का इंटरव्यू लिया गया था, उनमें से लगभग एक तिहाई (30%) आवश्यक सामान जैसे फल और सब्जियां बेचा करती थीं। भले ही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों ने आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी हो, लेकिन मार्च से जुलाई 2020 तक कोई भी महिला स्ट्रीट वेंडिंग का कार्य जारी रखने में सक्षम नहीं थी। जुलाई के बाद भी, आवश्यक सामान बेचने वालों में से लगभग 16% ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने उनके व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला कि "139 व्यक्तियों [स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदारों] में से जिन 45% से अधिक पर [कोविड - संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने का] आरोप लगा था वे आवश्यक सेवाएं और सामान उपलब्ध करा रहे थे" (सीपीए प्रोजेक्ट 2020)।

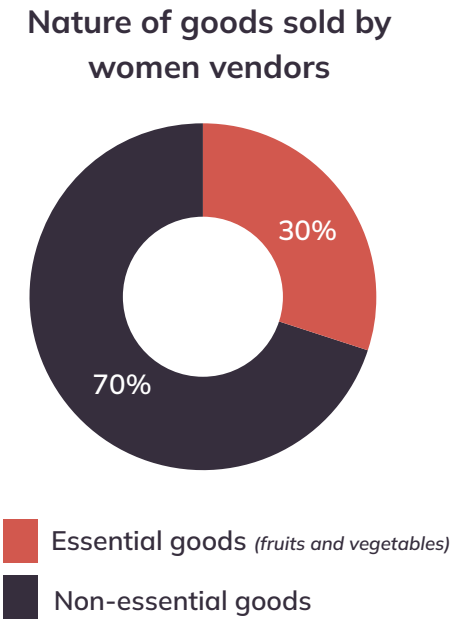

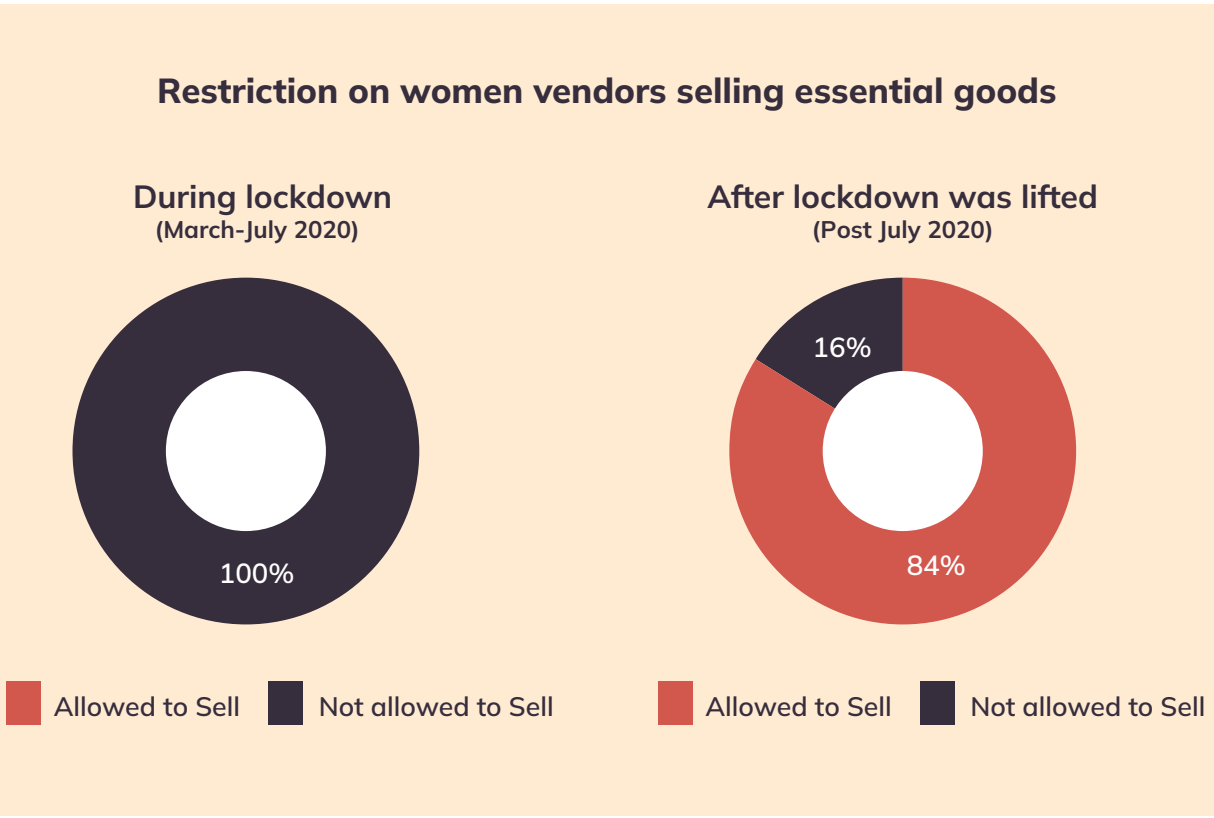

पुलिस अधिकारियों के द्वारा शोषण

जुलाई 2020 के बाद स्ट्रीट वेंडिंग के कार्य को जारी रखने वाले 80.55% लोगों ने जानकारी दी कि उन्हें किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। एग्जिक्युटिव ऑर्डर जारी कर कार्य करने के समय, प्रत्येक स्टॉल पर उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, मास्क और सेनिटाइजर रखने आदि जैसे नियम निर्धारित किये। एग्जिक्युटिव के अधिकांश आदेशों में स्ट्रीट वेंडर्स को किसी विशेष दिन और समय अवधि में ही रेहड़ी लगाने की अनुमति प्रदान करने के कारणों से संबंधित स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया था। हाल ही में अदालतों ने भी ऐसे कार्यों को 'मनमानी' के रूप में वर्गीकृत किया है। (री डिंथर वाली घटना में आइजॉल बनाम मिजोरम सरकार)।

लगभग 59% लोगों ने बताया कि उक्त आदेशों के अलावा, पुलिस या लोकल म्युन्सिपॉलिटी के अधिकारियों द्वारा अन्य मनमाने प्रतिबंध भी लगाए गए थे। एक स्ट्रीट वेंडर ने कहा, "जब तक हम उन्हें पैसे नहीं देते हैं, तब तक वे हमें अपनी दुकान स्थापित करने की अनुमति भी नहीं देते हैं।" लगभग 27.58% ने बताया कि कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने की आड़ में उनके सामान को मनमाने ढंग से जब्त कर लिया गया था, और उन्हें अक्सर अपने सामान वापस प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा, "स्थानीय अधिकारियों ने मेरे सामान को नष्ट कर दिया।" ऐसा तब किया जाता था जब विक्रेता मांगे गए रिश्वत का भुगतान नहीं कर पाते थे।

2020 में, "कुल स्ट्रीट वेंडर्स में से 75% से अधिक मुख्य रूप से इस बात के लिए आरोपित थे कि कि उन्होंने अपनी दुकानें खोली थी या अपना व्यापार जारी रखा और भीड़ इकट्ठा की, जिससे वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया था। पहले और दूसरे लॉकडाउन (23 मार्च-2 अप्रैल) के दौरान, स्ट्रीट वेंडर्स का 50% से अधिक माल, उनके द्वारा व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां (कार्ट) या दोपहिया वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया था (सीपीए प्रोजेक्ट 2020)।

इन इंटरव्यूज़ से पता चलता है कि कैसे प्रतिबंधात्मक आदेशों और सत्ता के दुरुपयोग का गरीबों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट बढ़ता है जिससे महिला स्ट्रीट वेंडर गरीबी और निर्धनता के और करीब हो जाती हैं (कोचर 2021)।

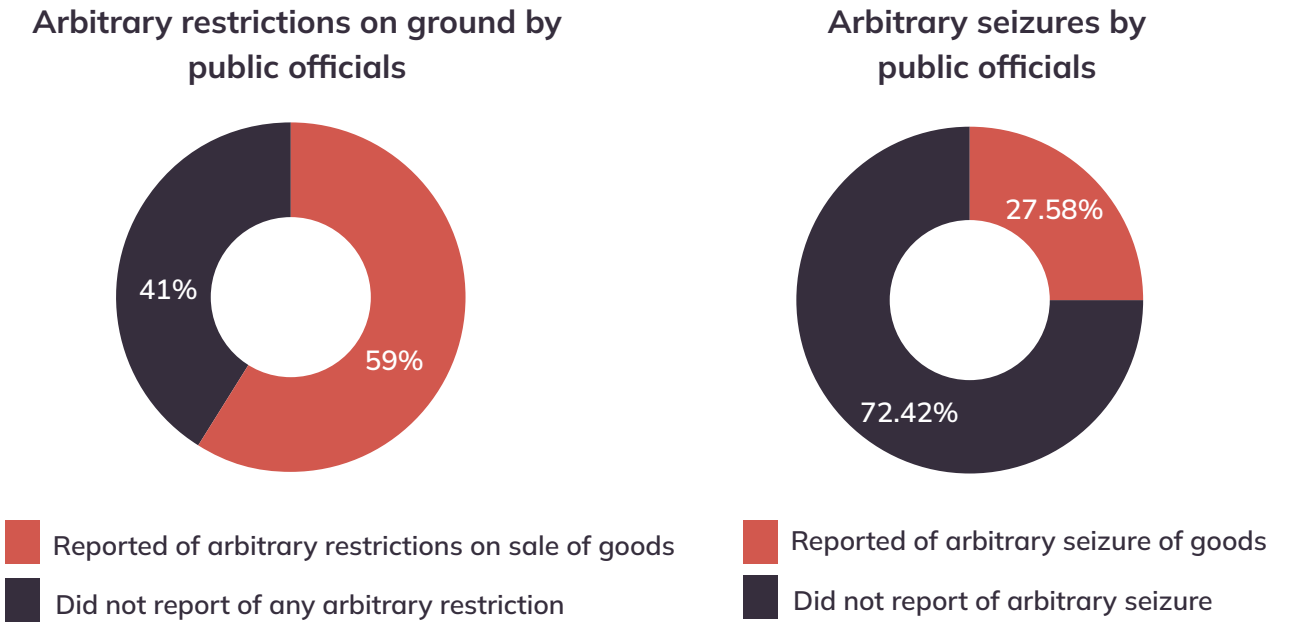

महामारी को रोकने के सरकारी प्रयासों में कहां कमी रह गई?

न्यूजीलैंड, स्वीडन और ताइवान जैसे देशों के विपरीत, भारत ने कोविड -19 महामारी से निबटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया है। भारत में महामारी से निबटने के लिए एग्जिक्युटिव ने तीन कानूनों के तहत पेंचीदा 'आदेशों का जाल' (भाटिया 2020) सृजित कर दिया। इन कानूनों में शामिल हैः डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट , 2005 (DMA), द इपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (EDA) और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1974 (CrPC)। महामारी के विस्तार को रोकने के लिए उठाये गए सभी सरकारी कदम उक्त तीन कानूनों पर ही आधारित हैं।

इन कानूनों में एग्जिक्युटिव के द्वारा शक्तियों के मनमाने दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किये गए हैं। नीचे हम चार सिद्धांतों की बात करेंगे जो रूल ऑफ लॉ को प्रोत्साहित करने और इंडिविजुअल राइट्स (बेदी और नारंग) को प्रोटेक्ट करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। हमने पाया है कि DMA और EDA का प्रदर्शन इन चारों पहलुओं के आधार पर बहुत बुरा रहा है।

विवेक आधारित मार्गदर्शन

एग्जिक्युटिव की विवेक आधारित कारवाई को आवश्यक रूप से कुछ निश्चित मानदंडों के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। मानदंडों और दिशा निर्देशों के बिना इस बात का आकलन करना मुश्किल हो सकता है कि कोई प्रशासनिक निर्णय विशेष "सच्चाई और योग्यता और उचित विचारों पर आधारित है या दुर्भावनापूर्ण और कुछ अनुचित और भ्रष्ट विचारों से प्रेरित है" (हेल्सबरी के भारत के कानून 2019)। यदि विवेक मानदंडों के द्वारा निर्देशित नहीं है, तो यह भ्रष्टाचार, मनमानी और शक्तियों के दुरुपयोग का कारण बन सकता है। न तो EDA और न ही DMA इस बारे में कोई मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि एग्जिक्युटिव के द्वारा विवेक का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए (भवनानी, नारंग और बेदी आगामी)। उदाहरण के लिए, EDA की धारा 2 राज्य सरकार को अनुमति देती है (धारा 2 EDA, 1897) कि:

> "ऐसी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए ऐसे उपाय और ऐसे टेम्परेरी रेग्युलेशंस को लागू करें जैसा आवश्यक प्रतीत हो।".

ऐसे शासनादेश किसी प्रकार के दिशा निर्देशों के बिना होते हैं और या तो जारी किये जा सकने वाले आदेश के रूप में होते हैं या जैसी जरूरत हो उस पर आधारित होते हैं।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय

ऐसी कोई भी सरकारी कार्रवाई जो किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित करती है उसे कुछ निश्चित प्रक्रियाओं की अनुपालना अवश्य करनी चाहिये। इसमें कम से कम किसी भी सरकारी कार्रवाई के पूर्व नोटिस जारी करने, जिसमें कि उस कार्रवाई विशेष को करने के कारणों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाला आदेश और अधिकारों को वंचित करने से पूर्व सुनवाई करने का अवसर व एग्जिक्युटिव के उस निर्णय को चुनौती देने के तौर तरीकों की जानकारी शामिल हो (मिनाट्टुर 2015; चौहान 1995)। DMA और EDA ऐसे सुरक्षा के उपाय प्रदान नहीं करते हैं।

आनुपातिकता और सांठगांठ का सिद्धांत

आनुपातिकता अथवा आनुपातिकता के सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि "जब सरकार कोई कार्रवाई कर रही हो तो उस कार्रवाई के द्वारा प्राप्त होने वाले लक्ष्य को हासिल करने लिये प्रयुक्त साधन को उद्देश्य के अनुरूप अनुकूलित किया गया हो" (मैथ्यूज 2017)। हालांकि, वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए EDA और DMA के तहत जारी किए गए कुछ आदेशों में आनुपातिकता नहीं थी। उदाहरण के लिए, ओडिशा सरकार ने उपाय के तौर पर कर्फ्यू लागू कर सभी निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अंततः इस बाबत उच्च न्यायालय द्वारा आनुपातिकता के आधार पर पूछताछ की गई थी (मिश्रा 2020)।

अधीनस्थ कानून निर्माण पर नियंत्रण

चूंकि नियम और आदेश निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बनाए जाते हैं या बारीकी से जांच के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए विधायिका को इस बात को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोगों के हितों के विरुद्ध न चलें। मूल कानून को इस विषय पर दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए जो नियमों और आदेशों को रेग्युलेट कर सकें। DMA और EDA एग्जिक्युटिव को ऐसा कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं। नतीजतन, इन कानूनों के तहत जारी किए गए आदेश जिला अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं, और आगे उन्हें ही आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है।

DMA और EDA दोनों के आदेश ढीले-ढाले हैं और वे एग्जिक्युटिव की शक्तियों पर पर्याप्त रोक लगाने में विफल हैं। स्वास्थ्य संकट से निबटने के लिए किसी भी स्पष्ट विधायी मार्गदर्शन के अभाव में, एग्जिक्युटिव ने DMA और EDA दोनों के तहत आदेशों और स्पष्टीकरण आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस मुद्दे को निपटाया।

राज्यों ने दो प्रकार से प्रतिक्रियायें दर्ज करायीं । दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने EDA के तहत नियम और आदेश जारी किए। राजस्थान और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों ने अपने स्वयं के महामारी रोग कानून (इपिडेमिक डीजीज़ लॉज़) पेश किए। ये राज्य स्तरीय कानून एग्जिक्युटिव को व्यापक शक्तियां प्रदान करना जारी रखते हैं, और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित नहीं करते हैं। अंत में, भले ही EDA इसके तहत अधिनियमित नियमों का 'टेम्परेरी' होना आवश्यक बनाता है, लेकिन यह विनियमों के समापन की तिथि की बात नहीं करता है। EDA के रेग्युलेशंस सरकारी अधिकारियों को असाधारण शक्तियां प्रदान करते हैं और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। नियमों और आदेशों की समाप्ति तिथि अधिकारों के लंबे समय तक निलंबन को सीमित करती है और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर इन नियमों की आवश्यकता की रिव्यू करने में मदद करती है।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पारित एग्जीक्यूटिव आदेश

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आदेश चुनौतियों से भरे थे।

26 मार्च 2020 के एक आदेश के तहत, MHA ने आवश्यक वस्तुओं के सप्लायर को स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन के साथ काम करने की अनुमति दी। लेकिन, आदेश ने ना अनुमोदन प्रदान होने के लिए कोई समय बताया और ना अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी । आदेश ने किसी सप्लायर के आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में अपील के लिए कोई तंत्र भी नहीं प्रदान किया। यह स्थानीय अधिकारियों के लिए मनमाने ढंग से आदेश लागू करने की गुंजाइश छोड़ देता है।

दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल के राज्य, जो कोविड -19 में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उनके एग्जीक्यूटिव आदेशों को पढ़ कर यह प्रवृत्ति सामने आती है (भावनानी, नारंग और बेदी आगामी):

सरकार के भीतर जवाबदेही की स्पष्ट रेखाएँ स्थापित करना कठिन है क्योंकि महामारी से निपटने में कई अधिकारी शामिल थे। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में, इसने विरोधाभासी आदेशों को जन्म दिया। जहां एक आदेश में आवश्यक सामान बेचने वाले वेंडर्स को संचालित करने की अनुमति दी गई थी, अन्य आदेशों ने ऐसी बिक्री को अस्वीकार कर दिया था।

व्यक्तियों द्वारा जनादेश का उल्लंघन करने पर दंड की प्रकृति पर आदेश अस्पष्ट हैं। ये आदेश दंड निर्धारित करने के लिए व्यापक भाषा जैसे "लागू होने वाले किसी भी अन्य कानूनी प्रावधान" का उपयोग करते हैं। इससे कानूनी स्पष्टता और निश्चिता से समझौता हो सकता है। कुछ आदेश, जैसे कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आदेश, उल्लंघन के लिए कोई दंड निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

व्यक्तियों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों सहित कोई भी आदेश संसद के समक्ष पेश नहीं किया गया था। ना तो DMA और ना ही EDA lलेजिस्लेचर द्वारा आदेशों की समीक्षा ज़रूरी समझता है।

DMA और EDA दोनों एग्जीक्यूटिव के निर्णयों के खिलाफ अपील करने के तंत्र पर चुप हैं। नतीजतन, कार्यकारी आदेशों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एकमात्र विकल्प कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है।

अन्य देशों से हम क्या सीख ले सकते हैं?

ग्रोगेन और वेनबर्ग (2020) ने मुख्य सिद्धांतों की एक सूची तैयार की है जिसे जन स्वास्थ्य संकट की स्थिति पैदा होने की दशा में आवश्यक रूप से हमारे देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बनाया जाना चाहिये। तीन सिद्धांत जिन्हें भारत को अब भी आत्मसात करने की जरूरत हैं वो निम्न लिखित हैं (भवनानी, नारंग और बेदी आगामी)।

कानूनी निश्चितता और स्पष्टताः न्यूजीलैंड का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया अधिनियम

सार्वजनिक संचार के दौरान कानूनों को विधिक निश्चितता और स्पष्टता को सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड के कोविड -19 पब्लिक हेल्थ रिस्पांस एक्ट 2020 ने राज्य की कार्रवाई के मूल में कानूनी विशिष्टता पर जोर दिया। अधिनियम की धारा 8 कार्यकारी आदेशों के लिए पूर्वापेक्षाएँ निर्धारित करती है। इसमें वे शर्तें शामिल हैं जिनके तहत कोविड -19 आदेश लागू किए जा सकते हैं (जैसे कि जब कोई महामारी नोटिस असर में हो)।

न्यूजीलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया अधिनियम, 2020 की धारा 14 और 15 इन आदेशों के लिए एक विशिष्ट प्रारूप निर्धारित करती है। जैसे कि,आदेश के लिये शासनदेश :

- उस क्षेत्र का उल्लेख करता है जिस पर यह लागू होता है और जिस तारीख को यह लागू होता है;
- विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आदेश लागू होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व इसे राजपत्र में प्रकाशित होना चाहिए;
- रद्द होने अथवा विस्तारित न होने की दशा में यह एक महीने के भीतर समाप्त हो जाता है।

ह्यूमन राइट्स के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान करनाः सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों वाले प्रावधानों की सीमितता और अनादर के संदर्भ में सिराकुसा का सिद्धांत

सरकारों को केवल

"ऐसे उपाय करने चाहिए जो प्रकृति में आवश्यक, आनुपातिक, टेम्परेरी हों, और ह्यूमन राइट्स और वैधता के सिद्धांत का सम्मान करें" ।

ये सिद्धांत रूल ऑफ लॉ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानदंडों में परिलक्षित होते हैं जैसे "सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों वाले प्रावधानों की सीमितता और अनादर के संदर्भ में सिराकुसा का सिद्धांत" (1984 में यूएन ईसीओएसओसी द्वारा अपनाया गया) (डोनाल्ड और लीच 2020)। इन सिद्धांतों के तहत, हेल्थ क्राइसिस से निबटने के लिए इंडिविजुअल राइट्स को प्रतिबंधित करने वाले राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रतिबंध: कानून के अनुसार लागू किये गए हैं; विशेष तौर पर और कड़ाई पूर्वक संकट से निपटने के लिए आवश्यक हैं; कम से कम प्रतिबंधात्मक और दखलअंदाजी वाला हो; अनुप्रयोग के दौरान उनकी प्रकृति मनमानी या भेदभाव पूर्ण नहीं हों; वे सीमित अवधि वाले हों; रिव्यू के अधीन हों; और अंत में, ह्युमन डिग्निटी का सम्मान करने वाले हों।

डेलिगेटेड लेजिसलेशन की निगरानी के लिये स्टैण्डिंग कमिटी: ऑस्ट्रेलिया का केस

देशों को आवश्यक रूप से "आपातकालीन विनियमों के लागू किये जाने को चुनौती देने के लिए प्रक्रियाओं को सक्षम करने" के लिए निगरानी तंत्र को स्थापित और संरक्षित करना चाहिए। निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, प्रदत लेजिसलेशनको नियमित संसदीय अनुमोदन और जांच के अधीन होना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया उच्च सदन में प्रदत्त विधान की जांच के लिए एक स्टैंडिंग कमिटी (सीनेट कमिटी) है। कमिटी एक साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे 'डेलिगेटेड लेजिस्लेशन मॉनिटर' (प्रदत्त विधान निरीक्षण) कहा जाता है, और इसे सीनेट के समक्ष रखा जाता है। यह रिपोर्ट दस प्रमुख मापदंडों (सीनेट स्टैंडिंग कमेटी 2019) पर प्रदत्त लेजिसलेशन का आकलन करती है जैसे कि क्या आदेश कानून का अनुपालन करता है, क्या यह अनुचित रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्या इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जिन्हें संसद द्वारा अधिनियमित करने की आवश्यकता है, क्या इन्हें असरित दलों से परामर्श करने के बाद बनाया गया था, और क्या मसौदे को अस्पष्ट तरीके से तैयार किया गया है।

सीनेट कमेटी अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों को संबंधित मंत्री या प्राधिकरण को बताती है। कमेटी और एग्जिक्युटिव के बीच सभी संचार रिकॉर्ड और प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, एग्जीक्यूटिव द्वारा दिया गये प्रत्येक शपथ पत्र को प्रकाशित किया जाता है। अंत में, सीनेट कमेटी शपथ पत्र देने के बाद एग्जीक्यूटिव द्वारा की गई सभी कारवाई की निगरानी करती है। इन सभी रिपोर्टों और प्रतिक्रियाओं को सार्वजनिक जांच के लिए आसानी से सुलभ बनाया जाता है (ऑस्ट्रेलिया का संसद)।

यह विस्तृत प्रक्रिया सीनेट कमिटी को अपने कर्तव्यों को असरी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाती है। इसी तरह के तंत्र यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड में भी मौजूद हैं जहां कमिटीयों को खास तौर से कोविड -19 से संबंधित कानून और डेलिगेटेड लेजिसलेशन की रिव्यू के लिए गठित किया गया था (वेस्टमिन्स्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी 2020)।

इस तरह के तंत्रों से सीखने और उन्हें आत्मसात करने पर भारतीय संसद की भूमिका को एग्जिक्युटिव के अतिरेक को रोकने में मजबूत बनाया जा सकेगा।

इन सीखों को हम अपने देश में कैसे लागू कर सकते हैं?

DMA और EDA की विस्तारित भाषा ने एग्जिक्युटिव को मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति दी है। हालाँकि, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे विधायिका विधि के शासन को बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव की शक्तियों को सीमित कर सकती है। नीचे, हम उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर कुछ सिफारिशें प्रस्तुत कर रहे हैं।

सुझाव 1: EDA और DMA के द्वारा कार्यकारी आदेशों के संदर्भ में प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करना चाहिये

भारतीय प्रतिक्रिया को व्यापक और अस्पष्ट कानूनी वाक्यांशों के बजाय विशिष्ट कानूनी भाषा को अपनाना चाहिए। EDA की धारा 2 और 2ए में आवश्यक रूप से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जा सके:

- उन विषयों की एक सूची तैयार की जा सकती है जिन्हें एग्जिक्युटिव रेग्युलेट कर सकती है और जिनमें एग्जिक्युटिव द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों की प्रकृति शामिल हो;
- शासनादेश जारी कर एग्जिक्युटिव के आदेशों में उसे लागू करने की तिथि, प्रयोज्यता का क्षेत्र और अधिनियम की उस धारा और उप धारा का उल्लेख करने को आवश्यक बनाया जाए है जिसके तहत उक्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

निम्नलिखित को उपलब्ध कराने के लिए DMA की धारा 35 और 38 में संशोधन किया जाना चाहिए: [1]

- इससे न केवल कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके तहत जारी होने वाले आदेश भी सुनिश्चित होंगे।

इससे न केवल कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके तहत जारी होने वाले आदेश भी सुनिश्चित होंगे।

सुझाव 2: EDA और DMA को चाहिये कि वह आपातकालीन परिस्थितियों में जारी होने वाले कार्यकारी आदेशों का टेम्परेरी होना सुनिश्चित करे और उनका संसदीय रिव्यू से गुजरना आवश्यक बनाए

न्यूज़ीलैंड में, एग्जिक्युटिव को कुछ शक्तियों को प्रदान करने वाला कानून संसदीय अनुमोदन के अधीन है, और इसकी एक समापन समयावधि (सनसेट क्लॉज) होती है जो कानून लागू होने के दो साल बाद कानून को निरस्त करती है (भाग 1, धारा 3 कोविड -19 पब्लिक हेल्थ रिस्पांस एक्ट 2020)। यह ताइवान और स्वीडन (चिएन-लिआंग 2020; कैमरून और कॉर्नेल 2020) में भी देखा गया है। कोविड -19 के संबंध में भारत के विधायी ढांचे में वर्तमान में ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

EDA की धारा 2 और 2A क्रमशः राज्य और केंद्र सरकारों को नियम निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। हालाँकि, अधिनियम में इन्हें संबंधित सदनों के समक्ष रखने को आवश्यक नहीं बनाता है।

1. DMA की धारा 35 और 38, कार्यपालिका को अनुमति देते हैं आवश्यक 'उपाय' लेने के लिए . "उपाय" शब्द को, व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। पर ऐसे उपकरणों को परिभाषित नहीं किया गया है जो इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किये जा सकते है।

निम्नलिखित को हासिल करने के लिए EDA में संशोधन किया जाना आवश्यक है:

- अधिनियम के तहत बनाए गए कार्यकारी आदेशों को सक्षम और मार्गदर्शन करने वाले नियमों की रिव्यू और पारित करने के लिए संबंधित विधायी निकाय के समक्ष रखने का आदेश दें;
- ऐसे नियमों को बनाने और उन्हें पारित कराने के लिए एक समय-सीमा निर्दिष्ट करें;
- विधायिका को इतना सशक्त बनाना जिससे कि वह स्वास्थ्य संकटों का मुकाबला करने के नाम पर बनाये गए किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सके जो अनावश्यक प्रतीत होते हों;
- उस अवधि का उल्लेख करें जिसके बाद इसके तहत बनाए गए नियम समाप्त हो जाएं (जब तक कि विधायिका द्वारा उसे विस्तारित न किया जाए)।

DMA की धारा 77 केवल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा बनाए गए विनियमों को संसद के समक्ष रखने को आवश्यक बनाती है, न कि राष्ट्रीय कार्यकारी कमिटी द्वारा जारी किए गए विनियमों या आदेशों की। निम्नलिखित को हासिल करने के लिए DMA में संशोधन किया जाना चाहिए:

- राष्ट्रीय कार्यकारी कमिटी द्वारा अधिनियम के तहत पारित नियमों को संसद के समक्ष रखे जाने से संबंधित शासनादेश जारी करें;
- ऐसे नियमों को बनाने और उन्हें पारित कराने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करें;
- विधायिका को इतना सशक्त बनाना जिससे कि वह स्वास्थ्य संकटों का मुकाबला करने के नाम पर बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सके जो अनावश्यक प्रतीत होते हों;
- उस अवधि का उल्लेख करें जिसके बाद इसके तहत बनाए गए नियम समाप्त हो जाएं (जब तक कि विधायिका द्वारा उसे विस्तारित न किया जाए)।

DMA की धारा 78 के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विनियमों को संबंधित राज्य विधान सभाओं के समक्ष रखना आवश्यक है। हालांकि, अधिनियम ऐसा करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। इसे कानून में शामिल करने के लिए DMA में आवश्यक रूप से संशोधन किया जाना चाहिए:

- उस अवधि का उल्लेख करें जिसके बाद इसके तहत बनाए गए नियम समाप्त हो जाएंगे (जब तक कि विधायिका के द्वारा इसे विस्तार प्रदान न किया जाए)।

सुझाव3: संसदीय अथवा स्टैंडिंग कमिटीज़ की रिव्यू कुछ निश्चित सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होनी चाहिये

संसदीय रिव्यू के दो रूप हो सकते हैं। सबसे पहला यह कि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालने वाले सभी कार्यकारी आदेशों को संसद के समक्ष विचार के लिए पेश किया जाना चाहिए। दूसरा, सभी कार्यकारी आदेशों की समय-समय पर रिव्यू के लिए एक स्टैंडिंग कमिटीका गठन किया जाए। इसके अलावा, सिद्धांतों का

एक समुच्चय तैयार किया जाना चाहिये जो रिव्यू के कार्य को निर्देशित करे। इनमें (सीनेट स्टैंडिंग कमिटी 2019) शामिल है:

- इस बात की जाँच करना कि क्या आदेश मूल अधिनियम के अधिदेश से परे है;
- स्वतंत्रता पर मनमाने या अत्यधिक प्रतिबंधों के खिलाफ जाँच करना (इसमें यह जाँचना शामिल है कि क्या आदेश व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अनुचित रूप से उल्लंघन करते हैं);
- स्पष्टता की कमी या सीमित मार्गदर्शन के खिलाफ जाँच करना जो एग्जिक्युटिव को शक्ति के दुरुपयोग के लिए गुंजाइश प्रदान करता है (इसमें अनुपालना की अनदेखी करने की स्थिति में दंड के प्रावधान का स्पष्ट वर्णन किया जाना सुनिश्चित हो);
- जीवन, स्वतंत्रता, अधिकारों, दायित्वों और हितों को असरित करने वाले निर्णयों की रिव्यू की अनुमति को सुनिश्चित करना;
- आदेश में शामिल ऐसे मामलों की जांच करना जो संसद द्वारा अधिनियमित करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं;
- क्या आदेश स्वतंत्र रूप से सर्व सुलभ है।

भारत में वर्तमान में अधीनस्थ विधान की रिव्यू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के अधीन उप-कमिटीयां हैं। इन उप-कमिटीयों को यह जांचने का अधिकार है कि क्या एक कार्यकारी आदेश (राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का नियम 209):

> “संविधान या अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है जिसके अनुसार इसे बनाया गया है; क्या इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जिन्हें कमिटी की राय में संसद के एक अधिनियम के तहत अधिक उचित तरीके से निपटाया जाना चाहिए; क्या ऐसा लगता है कि आदेश संविधान या अधिनियम द्वारा डेलिगेटेड शक्तियों का कुछ असामान्य या अप्रत्याशित उपयोग करता है जिसके अनुसार इसे बनाया गया है।”.

हालाँकि, इन कमिटीयों ने कोविड -19 से संबंधित विशिष्ट कार्यकारी आदेशों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि राज्यसभा की एक स्टैंडिंग कमिटी ने नोट किया कि लॉकडाउन अचानक था, यह कोविड -19 (विभाग से संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्टैंडिंग कमिटी 2020) के दौरान पारित सरकारी आदेशों की व्यवस्थित रूप से रिव्यू नहीं करता है। इसके अलावा, इन कमिटीयों के अधिदेश में ऊपर सूचीबद्ध कुछ सिद्धांतों पर अधीनस्थ विधान की रिव्यू करना शामिल नहीं है।

सुझाव 4: एग्जिक्युटिव के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के लिये EDA और DMA को आवश्यक रूप से एक तंत्र का निर्माण करना चाहिये

DMA और EDA में निर्णयों के खिलाफ अपील करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। यह कार्यकारी प्राधिकरण के आदेशों से असरित किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक सहारा लेने से रोकता है, जिसके कारण लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिये सिर्फ कार्यों के बोझ तले पहले से ही दबे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय का विकल्प बचता है।

EDA और DMA को अवश्य ही प्रशासनिक अपील या रिव्यू का एक तंत्र पेश करना चाहिए।

- यह एक अर्ध-न्यायिक या आदेश जारी करने वाले कार्यकारी निकाय हो सकता है। इसका एक उदाहरण भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) और 144 (6) में देखने को मिलता है। वे किसी भी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को अपने "स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर इस धारा के तहत किए गए किसी भी आदेश को रद्द करने या पलटने की अनुमति देते हैं"। संहिता आगे धारा 144 (7) में "आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष पेश होने और आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक प्रारंभिक अवसर प्रदान करने के लिए; और यदि मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवेदन को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर देता है, तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।"
- एक अन्य तंत्र कार्यकारी आदेशों से निकलने वाले मामलों की सुनवाई के लिए अलग प्रशासनिक न्यायालय या न्यायाधिकरण स्थापित कर सकता है। इसके उदाहरण विभिन्न देशों में देखे जा सकते हैं। न्यूजीलैंड में, जिला न्यायालयों को कारवाई के कारण उत्पन्न होने वाले कोविड से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। स्वीडन में, प्रशासनिक मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग अदालत की स्थापना की जाती है, जिसमें महामारी के दौरान अधिकारों को प्रतिबंधित करने के एग्जिक्युटिव के निर्णय शामिल हैं। स्वीडन के समान, फ्रांस में एक स्वतंत्र प्रशासनिक न्यायालय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 एग्जिक्युटिव को अर्ध-न्यायिक अपीलों की एक संरचना स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करता है ताकि एग्जिक्युटिव की कार्रवाई से पीड़ित लोगों को सहारा लेने में सक्षम बनाया जा सके।

भारत में पूर्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निबटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन) विधेयक, 2017 (सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसने इन सिद्धांतों को कानूनी स्पष्टता, विधायी रिव्यू और अपील तंत्र में शामिल करने की मांग की थी। बिल में "आइसोलेशन" और "सोशल डिस्टेंसिंग" जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है, जो वर्तमान में कानून में अपरिभाषित हैं। धारा 13 ने एग्जिक्युटिव के आदेशों के संसदीय अनुमोदन के लिए एक तंत्र को स्पष्ट किया, और उसके लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की। अंत में, इसने एग्जिक्युटिव के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए ऐसी प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया। हालाँकि, विधेयक अधिनियमित नहीं हो पाया।

प्रत्येक संकट भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर प्रदान करता है। इसी तरह, इस महामारी ने कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानदंडों पर प्रकाश डाला है, जिन्हें भारत अपनी संरचनाओं को मजबूत करने के लिए आत्मसात कर सकता है। उम्मीद है, हमारे द्वारा स्थापित मानदंड भविष्य में किसी भी संकट के माध्यम से भारत के गरीब और वंचितों की रक्षा करेंगे।

संदर्भ

1. अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द इंटरनेशनल कमिशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स 1985. "सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों वाले प्रावधानों की सीमितता और अनादर के संदर्भ में सिराकुसा का सिद्धांत" अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द इंटरनेशनल कमिशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf.
2. बेदी, जयना एंड प्रशांत नारंग. एन. डी. "रिप्रजेंटेशन, राइट्स एंड रिसोर्सेज एलोकेशनः असेसिंग द क्वालिटी ऑफ ए लॉ," फोर्थकमिंग
3. भाटिया, गौरतम 2020. "ए टेल ऑफ इवेज़न, डिफ्रेंस एंड इनकंसिस्टेंसी" हिंदुस्तान टाइम्स, https://www.hindustantimes.com/columns/a-tale-of-evasion-deference-and-inconsistency/story-uPCbRzn40SLooj6mVLbpOJ.html.
4. भवनानी, शरन, प्रशांत नारंग एंड जयना बेदी. एन. डी. "असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ कोविड -19 रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडियाः ओवरकमिंग पॉलिसी एंड लीगर चैलेंजेस बाय स्ट्रेंथेनिंग द रूल ऑफ लॉ," आगामी।
5. भौमिक, शेरित के. 2003. "नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकलीः 1543-1546
6. कैमरन, इयान एंड एन्ना जॉनसन- कॉरनेल 2020. "स्वीडन एंड कोविड -19ः ए कॉस्टिट्यूशनल पर्स्पेक्टिव," वेर्फासुंग्स ब्लॉग, https://verfassungsblog.de/sweden-and-covid-19-a-constitutional-perspective/.
7. सेंटर फॉर सिविल सोसायटीः 2019. "प्रोग्रेस रिपोर्ट, इम्प्लिमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014," सेंटर फॉर सिविल सोसायटी https://ccs.in/sites/default/files/research/svac-report-2019.pdf.
8. चक्रबर्ती, शायनी एंड गायत्री आहूजा आईएसएसटी। 2021. "इमर्ज़िंग फ्रॉम द लॉकडाउनः इनसाइट्स फ्रॉम वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स लाइव्स इन डेल्ही," न्यू डेल्हीः इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट, https://www.isstindia.org/publications/1610689722_pub_Final_Designed_Street_Vendors_Report_compressed.pdf
9. चौहान, वी. एस. 1995। "रिज़न्ड डिसिज़नः ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस," जरनल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, वोल्युम 37, नंबर 1, पीपी 92-104, https://www.jstor.org/stable/43951591?seq=1
10. क्रिमिनल जस्टिस एंड पोलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट, 2020। "काउंटरमैपिंग पैंडेमिक पोलिसिंगः ए स्टडी ऑफ सैंक्शंड वायलेंस इन मध्य प्रदेश" इंडिय स्पेंड https://www.indiaspend.com/wp-content/uploads/2020/11/Countermapping-Pandemic-Policing-CPAProject.pdf.
11. डोनॉल्ड, एलिस एंड फिलिप लीच 2020. "ह्यूमन राइट्स - द इसेंसियल फ्रेम ऑफ रिफ्रेंस इन द ग्लोबल रिस्पॉस टू कोविड -19" वेर्फासुंग्स ब्लॉग, https://verfassungsblog.de/human-rights-the-essential-frame-of-reference-in-the-global-response-to-covid-19/.
12. ग्रोगेन, जोएले एंड न्याशा वेनबर्ग 2020। "प्रिंसिपल्स ऑफ अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस इन पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज़" यूरोपियन कमीशन, https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2020/08/RECONNECTPB_082020B.pdf

13. इन री डिन्थर इंसिडेंट आइजॉल वर्सेस स्टेट ऑफ मिजोरम एंड 11 ओआरएस (2021)। गोहाटी हाइकोर्ट। रिट्राइव फ्रॉम https://www.livelaw.in/pdf_upload/display-2021-07-04t174140644-396040.pdf

14. कोचर, राकेश 2021। "इन द पैंडेमिक, इंडिया़ज मिडिल क्लास श्रिंक्स एंड पॉवर्टी स्प्रेड्स व्हाइल चीनो सीस स्मॉलर चेंजे़ज़," प्यू रिसर्च सेंटर https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/18/in-the-pandemic-indias-middle-class-shrinks-and-poverty-spreads-while-china-sees-smaller-changes/

15. ली, चियेन लियाग। 2020। "ताइवान्स प्रोएक्टिव प्रिवेंशंस ऑफ कोविड -19 अंडर कॉस्टिट्यूशनलिज्म" वेर्फासुंग्स ब्लॉग https://verfassungsblog.de/taiwans-proactive-prevention-of-covid-19-under-constitutionalism/.

16. मजिठिया, अवि सिंह। 2020। "इम्पैक्ट ऑफ कोविड -19 ऑन स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडियाः स्टेटस एंड स्टेप्स फॉर एडवोकेसी," वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंटः ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गेनाइज़िंग, https://www.wiego.org/impact-covid-19-street-vendors-india-status-and-steps-advocacy.

17. मैथ्युज़, जुड। 2017। "प्रोपोर्शनैलिटी रिव्यू इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।" इन कॉर्पोरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडवर्ग एल्गर पब्लिशिंग

18. मिनाट्टूर, जोसेफ, एड. 1978। द इंडियन लीगल सिस्टम, एन. एम. त्रिपाठी

19. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2011। "नेशनल कंसल्टेशन ऑन सेंट्रल लॉ ऑन स्ट्रीट वेंडिंग" गवर्मेंट ऑफ इंडिया, न्यू डेल्ही। http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/18NCL_STREET_VENDING_23122011.pdf)

20. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 2020। "कोविड -19 पब्लिक हेल्थ रिस्पांस एक्ट 2020," मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, द पार्लियामेंट ऑफ न्यूज़ीलैंड https://legislation.govt.nz/act/public/2020/0012/latest/LMS344134.html?src=qs.

21. मिश्री, अमलान, 2020। "कोरोना वायरस एंड द कॉस्टिट्यूशन -XV: द ओडिशा हाई कोर्ट ऑन द बैन ऑन व्हिकल्स," इंडियन कॉस्टिट्यूशनल लॉ एंड फिलॉसफी https://indconlawphil.wordpress.com/2020/04/11/coronavirus-and-the-constitution-xv-the-odisha-high-court-on-the-ban-on-vehicles-guest-post/.

22. पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020। "डेलिगेटेड लेजिस्लेशन मॉनिटर (2020)" https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Scrutiny_of_Delegated_Legislation/Monitor/mon2020/index.

23. पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020। "सीनेट स्टैंडिंग कमिटी फॉर द स्क्रूटनी ऑफ डेलिगेटेड लेजिस्लेशन," https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Scrutiny_of_Delegated_Legislation.

24. पुरकायस्था, शोरबोरी 2020। "पोलिस ब्रूटालिटीः सिटिजंस, डिलिवरी एजेंट्स ह्रास्ड एमिड लॉकडाउ," द क्विंट https://www.thequint.com/news/india/police-harassing-citizens-delivery-agents-amid-covid-19-lockdown?#read-more.

25. राज्य सभा 2020। "टू हन्ड्रेड ट्वेंटी नाइन रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ कोविड -19 पैंडमिक एंड रिलेटेड इश्यूज," डिपार्टमेंट- रिलेटेड संसदीय स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, राज्य सभा सेक्रेटेरियेट, न्यू डेल्ही, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/143/229_2020_12_18.pdf

26. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020। "WHO डाइरेक्टर - जनरल्स ओपनिंग रिमार्क्स एट द मीडिया ब्रीफिंग ऑन कोविड -19 - 11 मार्च 2020," https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

27. वेस्टमिन्स्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी। 2020। "संसदीय कमेटीज़ः विन्डोज़ इनटू द वर्ल्ड ऑप कोविड -19 लेजिस्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट," https://www.wfd.org/2020/10/19/parliamentary-committees-as-windows-into-the-world-of-covid-19-legislation-and-its-impact/.

लेखक

शरण भावनानी

शरण भवनानी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम टीम के सलाहकार हैं। वह एक वकील हैं, और उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर (NLSIU) से कानून में उपादी प्राप्त की है। उन्होंने पहले नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया रिव्यू के प्रधान संपादक के रूप में काम किया है।

प्रशांत नारंग

डॉ. प्रशांत नारंग सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम टीम में सीनियर फेलो है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार सिफारिशें और स्ट्रीट वेंडर एक्ट कंप्लायंस इंडेक्स शामिल हैं। उन्होंने राजस्थान में स्ट्रीट वेंडेल एक्ट के कार्यान्वयन के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट सें एक अनुकूल निर्णय प्राप्त किया। प्रशांत ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस से पी.एच.डी पूरी की है। राइट टू एजुकेशन एक्ट और स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अलावा, उनके वर्तमान हित क्षेत्र रूल ऑफ लॉ और भारत में व्यापार और व्यापार करने का संवैधानिक अधिकार हैं।

जयना बेदी

जयना बेदी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीम में सीनियर एसोसिएट हैं। उन्होंने मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में उपादी प्राप्त की है। जयना पिछले तीन वर्षों से वेंडर के आजीविका और क्वालिटी ऑफ़ लॉ़ज़ के मुद्दे पर काम कर रहीं हैं। उन्होंने 2019 और 2020 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रगति विवरण तैयार करने में CCS की सहायता की।

Centre for Civil Society

Founded in August 1997 on the 50th Anniversary of India's independence, Centre for Civil Society (CCS) is a leading public policy think tank today, ranked 5th in India and 83rd in the world by the TTCSP 2021 report.

CCS champions individual choice and institutional accountability by shaping India's public policy, using evidence-based research, outreach programs and policy training. Our areas of work include education, livelihoods, governance, environment, agriculture and science & technology policy.

Since its founding in 1997, CCS has stayed non-partisan and independent, providing objective analysis and inputs on public policy. Our work in education, livelihood, policy training, property rights and competitive markets are secured by the rule of law and promotes choice and accountability across private and public sectors.

Commonwealth Foundation

The Commonwealth Foundation is a development organisation with an international remit and reach, uniquely situated at the interface between government and civil society. The Foundation strengthens the capacity of civil society to act together and learn from each other to engage with the institutions that shape people's lives. It strives for more effective, responsive and accountable governance with civil society participation, which contributes to improved development outcomes.

Commonwealth Foundation

Centre for CIVIL SOCIETY
SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी
ए-69, ब्लॉक ए, हौज खास, नई दिल्ली, दिल्ली 110016
फ़ोन: +91 11 2653 7456 | वेबसाइट: www.ccs.in